कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 (   ) आ.राज.(सा.प्र.)/जननि/10 /91   दिनांकः– 29/4/10

आम सूचना

मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना का पंजीयन उपविधि 2010

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान् उपशासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांकः प.8 ( ) नियम/एल.एस.जी./10/1101–1284 दिनांक 29.03.1970 की अनुपालना में जयपुर नगर निगम मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना उपविधियां 2010 बनाने का निर्णय लिया गया हैं।

जयपुर नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना सेवाओं पर बढ़ते दबाव के कारण मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना लगाने एवं इन पर नियंत्रण हेतु जनहित में उपविधियां बनाना आवश्यक हो गया है। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 340 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर नगर निगम मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना उपविधि 2010 बनाती हैं।

अतः सर्व साधारण की सुविधार्थ यह सूचित किया जाता है कि जयपुर नगर निगम की सीमा में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्मों/सामुदायिक केन्द्रों/भवनों/क्लबों/हॉल इत्यादि पर मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना लगाये जाते है जिससे आम नागरिकों को इस संबंध में आपत्ति/असुविधा हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में जयपुर नगर निगम मुख्यालय, लाल कोठी, आयुक्त राजस्व अनुभाग में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देवे। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। नगर निगम जयपुर मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना उपविधियां प्रारूप–2010 का पूर्ण विवरण निगम की आयुक्त राजस्व शाखा में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय एवं जयपुर नगर निगम की वेबसाइटः– **www.jaipur.mc.org** पर देखी जा सकती हैं।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
2. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को इंटरनेट साईट पर डलवाने का श्रम करे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

Desktop/ prakash/ Rad /Rad Lan

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

प्रारूप अधिसूचना

जयपुर नगर निगम (टॉवर/पोल एन्टीना) प्रारूप उपविधियां 2010

टॉवर/पोल एन्टीना जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थापित किये जाने के संबंध में व्याप्त जन सुरक्षा व सुविधा, भवनों की सुरक्षा, नेटवर्क को कनेक्टीविटी, शहर का हेरिटेज स्वरूप की रक्षा, अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचाव के कार्य एवं बेहतर नगरीय सेवा के लिए जनहित में राजस्थान नगर निगम अधिनियम, (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर नगर निगम द्वारा निम्न उप विधि बनाती है:-

1. **शीर्षक, सीमा एवं प्रभावः-**

(क) यह उपविधियां जयपुर नगर निगम (टॉवर/पोल एन्टीना) उपविधियां 2010 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधियां जयपुर नगर निगम की समस्त सीमाओं में प्रभावशील होगी।

2. **शाब्दिक परिभाषाएं:-** जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रजोनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी :-

(i) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।

(ii) समिति से तात्पर्य जयपुर नगर निगम द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अंतर्गत समिति से हैं।

(iii) स्थानीय निकाय से तात्पर्य जयपुर नगर निगम से हैं।

(iv) उपयोग व उपभोग से तात्पर्य सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टॉवर/पोल एन्टीना लगाने से हैं।

(v) अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत टॉवर/पोल एन्टीना पंजीयन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

(vi) "महापौर" से तात्पर्य नगर निगम के महापौर से है।

(vii) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी से है।

(viii) "आयुक्त" से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के आयुक्त से है जो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

(ix) अधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जोन आयुक्त/आयुक्त (राजस्व) प्राधिकृत अधिकारी से है। अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति एवं संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

(x) टॉवर/पोल एन्टीना से तात्पर्य जयपुर नगर निगम सीमा में स्थित ऐसे समस्त भूमि अथवा भवन/फार्मों/सामुदायिक केन्द्रों/क्लबों/बैंक्वट हॉल इत्यादि से है जो सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते हैं।

(xi) इन उपविधियों के साथ जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये है उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होगी।

3. निषेधः–
स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टॉवर/पोल एन्टीना बिना स्वीकृति उपयोग नहीं कर सकेगा। वर्तमान में स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया में जयपुर नगर निगम से अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4. **अनुमति प्राप्त करने की प्रणालीः**–कोई व्यक्ति, संस्था, कम्पनी स्थानीय निकाय सीमा में स्थित भूमि अथवा भवन/फार्मो/सामुदायिक केन्द्रों/क्लबों/बैंक्वट हॉल इत्यादि पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाना चाहता है तो अथवा इन उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व ही लगा हुआ है उसे स्वीकृति के लिए संबंधित अधिकृत प्राधिकारी को आवेदन करना होगा।

(i) सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भवनों की छतों व खुले प्रसारण टॉवर/पोल एन्टीना लगाये जाने हेतु आवेदनः–

(अ) सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टॉवर/पोल एन्टीना लगाने बाबत् संबंधित जोन आयुक्त नगर निगम जयपुर को आवेदन करना होगा। टॉवर/पेाल एन्टीना स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को चाहें किसी विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यास अथवा किसी भी बोर्ड/संस्था द्वारा विकसित किया गया हो तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित नही किया गया हो, तब भी सम्बन्धित नगर निगम में आवेदन करना होगा।

(ब) आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क सक्षम अधिकारी को भवन/प्लाट मालिक के साथ किये गये पंजीकृत एग्रीमेंट, स्ट्रेक्चलर सेफ्टी सर्टिफिकट, टॉवर/पोल एन्टीना एवं अस्थायी निर्माण से संबंधित अधिकृत डिजाइन ड्राइंग्स इत्यादि इस उप विधि अनुसार संलग्न करना आवश्यक होगा।

(ii) अनुज्ञा पत्र की अवधिः–अनुज्ञा पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किया जा सकेगा। संबंधित अधिकृत प्राधिकारी आयुक्त (राजस्व) को अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(iii) सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमतिः–प्रस्तावित टॉवर/पोल एन्टीना के निर्माण संबंधी किसी भी सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमति की आवश्यकता हो तो वह अनुज्ञाधारी अपने स्तर से प्राप्त करेगा।

(iv) टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु स्ट्रक्चरः–टावर/पोल एन्टीना से संबंधित सम्पूर्ण स्ट्रक्चर अस्थाई होगा, लेकिन ढांचागत सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

(v) तडित चालक इत्यादि का प्रावधानः–अनुज्ञाधारी द्वारा अग्नि व आकाश में उत्पन्न बिजली की सुरक्षा हेतु तडित चालक का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) संरचना एवं स्थिरता प्रमाण–पत्रः–भवन जिस पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाया जाना प्रस्तावित है, की संरचना एवं स्थिरता (Structural Design & Stability) बाबत् निम्न में से किसी एक संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(a) M.N.I.T. Jaipur/BITS Pilani/Any Government Engg. College, Rajasthan.
(b) Rail India Technical & Economic Service, Delhi (RITES)
(c) National Council for Building Material, Faridabad.
(d) Executive Engineer Concerned, Public Works Department, Rajasthan,
(e) Government Registered Chartered Engineers (Including those registered with ULBs)

5. **प्रक्रियाः**–अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार टॉवर/पोल एन्टीना पंजियन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् टॉवर/पोल एन्टीना का पंजियन किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पूर्व में स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना पर भी यह प्रक्रिया लागु होगी।

6. **अपील:**—टॉवर/पोल एन्टीना पंजियन के लिए आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी कारण अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी अपील राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 65 में गठित समिति अथवा इस प्रयोजन हेतु अधिकृत समिति में की जा सकेगी।
7. **आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा** :—स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. **प्रतिबंधित:**—

   (a) सूचीबन्ध पुरातत्व एवं हैरिटेज से संबंधित किसी भी भवन पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

   (b) स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।
9. **टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु सड़क की अपेक्षित न्यूनतम चौड़ाई:**—खुले स्थानों/भूखण्डों/भवनों नये टॉवर/पोल एन्टीना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल की एप्रोच सड़क 30'-0' फीट से कम नही होनी चाहिए।
10. **टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु न्यूनतम भूखण्ड की माप अपेक्षित:**—खुले स्थानों पर टॉवर/पोल एन्टीना स्थापित करने हेतु भूखण्ड की माप न्यूनतम 30'X30' होना आवश्यक है।
11. **टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु भूखण्ड स्वामी के साथ लिखित अनुबंध अपेक्षित:**—टॉवर/पोल एन्टीना स्थापित किये जाने हेतु भवन अथवा भूखण्ड स्वामी एवं आवेदक के मध्य वैधिक रूप से पंजीकृत अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
12. **टॉवर/पोल एन्टीना सहभागी आधार पर लगाने की अनुमति:**—एक टॉवर/पोल एन्टीना पर शेयरिंग बेसिस पर मूल अनुज्ञाधारी की सहमति से अतिरिक्त एन्टीना लगाने हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी, यदि वह अन्य सभी दिशा-निर्देशों को पूरा करते है।
13. **ध्वनि प्रदूषण से मुक्त डी.जी. सेट आवश्यक:**—प्रसारण टॉवर/पोल एन्टीना के संचालन के लिए ध्वनि प्रदूषण से मुक्त डी.जी. सेट लगाना नियमानुसार अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु आवश्यकतानुसार अनुमति अलग से संबंधित संस्था से प्राप्त करनी होगी।
14. **हेरिटेज घोषित किये जाने पर टॉवर/पोल एन्टीना हटाया जाना:**—भवन/भूखण्ड को हेरिटेज घोषित किये जाने पर उस पर स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना तत्काल हटाये जायेंगे।
15. **टॉवर/पोल एन्टीना अनुज्ञापत्रधारी से निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगा:**—

   (i) टॉवर हेतु पंजीयन व मासिक शुल्क:—प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु 50,000/— (अक्षरे पचास हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में जयपुर नगर निगम में जमा कराने होंगे।

   यदि एक टॉवर को दो से अधिक सेवाप्रदाताओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त प्रत्येक सेवाप्रदाता द्वारा 25,000/— (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा कराना होगा, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टीना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टॉवर हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/— रूपये प्रति वर्ग फीट या 5,000/— रू. जो भी अधिक हो, भी अदा करने होंगे।

   (ii) पोल एन्टीना हेतु पंजीयन एवं मासिक शुल्क:—पोल एन्टीना हेतु प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ पोल एन्टीना लगाने हेतु 20,000/— (अक्षरे बीस हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में जयपुर नगर निगम में जमा कराने होंगे।

   यदि एक पोल एन्टीना को अन्य सेवाप्रदाता द्वारा शेयर किया जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त एन्टीना हेतु आवेदक द्वारा 10,000 (अक्षरे दस हजार रूपये) जमा कराने होंगे, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टीना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोल एन्टीना हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/— रूपये प्रति वर्ग फीट या 2,000/— रू. जो भी अधिक हो, भी अदा करने होंगे।

   नोट:— पोल एन्टीना से तात्पर्य ऐसे पोल से है, जो एक या एक से अधिक मुख्य टॉवर्स से उपभोक्ता के सम्पर्क सम्प्रेक्षण को अतिरिक्त प्रभावशाली बनाने हेतु स्थापित किए जाते हैं।

(iii) **पूर्व में स्थापित टॉवरों की अनुज्ञा के संबंध में**:–वर्तमान में स्थापित टॉवरों के सम्बन्ध में पंजीकरण फीस 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर–अन्दर अनुज्ञा हेतु जयपुर नगर निगम में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नही होंगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/– रूपये प्रति वर्ग फीट या 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलीय होगा।

(iv) **पूर्व में स्थापित पोल एन्टीना के पंजीयन एवं मासिक शुल्क**:–वर्तमान में स्थापित पोल एन्टीनों के सम्बन्ध में पंजीकरण फीस 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर–अन्दर अनुज्ञा हेतु जयपुर नगर निगम में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/– रूपये प्रति वर्ग फीट या 2,000/– (अक्षरे दो हजार रूपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलनीय होगा।

(v) **मासिक अनुज्ञा शुल्क जमा कराने की अवधि**:–तीन माह का मासिक अनुज्ञा शुल्क अग्रिम जमा करने होंगे साथ ही मासिक अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा कराने होंगे। टॉवर/पोल एन्टीना माह के किसी भी दिन में लगाने व हटाने पर उक्त माह का सम्पूर्ण शुल्क जमा कराना होगा। अनुज्ञा अवधि हेतु यह राशि एकमुश्त भी जमा करायी जा सकेगी।

(vi) **मासिक शुल्क में छुट**:–अनुज्ञाधारी यदि मासिक शुल्क को एक साथ सम्पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम जमा कराना चाहता है तो उसे 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। लेकिन ऐसी अग्रिम राशि माह अप्रेल की 10 तारीख तक जमा करनी होगी। वार्षिक अनुज्ञा फीस वित्तीय वर्ष अनुसार माह अप्रेल से मार्च तक देय होगी।

(vii) **विलम्ब से फीस**:–विलम्ब से फीस/राशि अदा करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज जयपुर नगर निगम द्वारा वसूल किया जायेगा तथा तीन माह तक की अनुज्ञा राशि की अदायगी नहीं होने पर जारी अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा टॉवर/पोल एन्टीना से सम्बन्धित मशीन एवं स्ट्रेक्चर को जयपुर नगर निगम जब्त कर सकेगी।

16. नवीनीकरण:–

अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण फीस:–अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञया अवधी समाप्त होने के एक माह पूर्व अनुज्ञापत्र की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन मय अनुज्ञापत्र आवेदन हेतु उक्त उपविधि के क्लाज 15 (i) व (ii) में निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।

17. **मासिक अनुज्ञा शुल्क स्थानान्तरण**:–मासिक अनुज्ञा शुल्क जयपुर नगर निगम में जमा कराना होगा। टॉवर/पोल एन्टीना का क्षेत्र अन्य नगर क्षेत्र को स्थानान्तरित होने पर ऐसी नगर निकाय को मासिक अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

18. **राजकीय विभागों से शुल्क वसूलनीय नहीं होगा**:–पुलिस, सुरक्षाबल एवं सरकारी विभाग द्वारा स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना के संबंध में कोई शुल्क वसूलनीय नहीं होगा।

19. **टॉवर/पोल एन्टीना को हटाने के आदेश पर इन्हें हटाया जाना आवश्यक होगा**:– जयपुर नगर निगम/राज्य सरकार/संस्था द्वारा टॉवर/पोल एन्टीना को हटाने हेतु आदेश दिये जाने पर कम्पनी को तुरन्त टॉवर/पोल एन्टीना हटाना होगा। यदि टॉवर/पोल एन्टीना नहीं हटाया जाता है तो जयपुर नगर निगम द्वारा अपने स्तर से उक्त टॉवर/पोल एन्टीना को हटा कर जब्त कर लिया जायेगा तथा उक्त कार्यवाही पर होने वाले व्यय की राशि अनुज्ञाधारी/सम्बन्धित व्यक्ति से वसूलनीय होगी।

20. **टॉवर/पोल एन्टीना की जब्ती**:–बिना अनुमति/अनुज्ञा के लगाये टॉवर/पोल एन्टीना को जयपुर नगर निगम जब्त कर सकेगी एवं उसको हटाने का व्यय सम्बन्धित से वसूलनीय होगा एवं अन्य कानूनी कार्यवाही उनके विरूद्ध की जावेगी।

21. **टॉवर/पोल एन्टीना एवं भवन इत्यादि से नुकसान पर हर्जा के संबंध में**:–टॉवर/पोल एन्टीना एवं भवन इत्यादि से उत्पन्न नुकसान के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार के हर्जे, नुकसान इत्यादि के लिए स्वयं अनुज्ञाधारी/भवन मालिक जिम्मेदार होगा तथा राज्य सरकार अथवा जयपुर नगर निगम की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

22. **टॉवर/पोल एन्टीना का सर्वेक्षणः–** जयपुर नगर निगम अपने क्षेत्र मे स्थापित सभी टॉवर/पोल एन्टीना का सर्वेक्षण इस आदेश के जारी होने के एक माह के अन्दर–अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु संस्था द्वारा एक रिकार्ड रजिस्टर संधारित किया जायेगा।
23. **भवन पर टैक्स/फीस निकाय की बकाया होने पर अनुज्ञा देय नहीं होगीः–**ऐसे भवन एवं प्लाट में टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकेगी जिसकी मालिको द्वारा जयपुर नगर निगम को देय किसी भी टैक्स/फीस इत्यादि अदा नही की गई हो।
24. **निकाय को जांच का अधिकारः–**टॉवर/एन्टीना जयपुर नगर निगम को समय–समय पर टॉवर/पोल एन्टीना की जांच करने बाबत् पूर्ण अधिकार होगा। जांच अधिकारी राजस्व स्तर के अधिकारी से कम का नहीं होगा।
25. **अभियोजनः–** जयपुर नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ पद का नहीं होगा, टॉवर/पोल एन्टीना का स्थल निरीक्षण कर सकेगा। यदि निर्देशित शर्तों उपविधियों क उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 7 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित कर अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर संबंधित विभाग को प्रदत्त शक्तियों से टॉवर/पोल एन्टीना स्थल का स्थानीय उपविधियों के अन्तर्गत सीज किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेगी। इन उपविधियों में किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 10000/– (दस हजार) रू. तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक 1000/– (एक हजार) रू. प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।
26. **स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षितः–** टॉवर/पोल एन्टीना अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। स्थानीय निकाय द्वारा टॉवर/पोल एन्टीना हेतु जारी अनुमति पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किये बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।